मद 4(1)(ख)(iii)

पर्यवेक्षण के चैनल और जवाबदेही सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली पद्धति

<u>निर्णय लेने की प्रक्रिया तथा निर्णय लेने के महत्वपूर्ण बिंदुओं की पहचान करना</u>:

कंपनी का समग्र प्रबंधन कंपनी के निदेशक मंडल के पास है। कंपनी के भीतर उच्चतम निर्णय लेने वाला निकाय निदेशक मंडल है।

कंपनी अधिनियम, 2013 (पूर्ववर्ती 1956) के प्रावधानों के अनुसार कतिपय मामलों में आम बैठक में कंपनी के शेयरधारकों का अनुमोदन लेना अपेक्षित होता है।

निदेशक मंडल कंपनी के शेयरधारकों के प्रति जवाबदेह है जोकि कंपनी का अंतिम प्राधिकारी है। आरईसी लिमिटेड एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (पीएसई)/सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी का निदेशक मंडल भारत सरकार के प्रति भी जवाबदेह है।

कंपनी का दिन प्रतिदिन का प्रबंधन कंपनी के अध्यक्ष और कार्यात्मक निदेशकों तथा अन्य अधिकारियों को सौंपा गया है। शक्तियों के प्रत्यायोजन के जरिए निदेशक मंडल ने कंपनी के अध्यक्ष, कार्यात्मक निदेशकों और कार्यपालकों को शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं। अध्यक्ष, कार्यात्मक निदेशक और अन्य अधिकारी शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार अपने निर्णय लेने के लिए शक्तियों का प्रयोग करते हैं।

शक्तियां जो निदेशक मंडल द्वारा प्रत्यायोजित नहीं की गई हैं, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रतिबंधों और प्रावधानों के अध्यधीन हैं।

दिन प्रतिदिन के कार्यों में निर्णय अधिकारी द्वारा शुरू करके तथा नियंत्रक अधिकारी को प्रस्तुत करके कार्यालय नोट के जरिए किए जाते हैं। सक्षम प्राधिकारी का अंतिम अनुमोदन शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुरूप प्राप्त किया जाता है।

अन्तिम निर्णय लेने के लिए प्राधिकारी:

शक्तियों के प्रत्यायोजन के दस्तावेज में कारोबार निर्णयों के निपटान हेतु उच्चतम निर्णय लेने के लिए अपनी क्षमता में निदेशक मंडल के पास टॉप-डाउनवर्डस के लिए मुख्य रूप से प्रवाह है तथा वही, पर्याप्त एवं शीघ्र निर्णय लेने के लिए, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशकों और उनसे नीचे के लिए प्रत्यायोजित की गई हैं।

संबंधित प्रावधान, अधिनियम, नियम आदि:

मोटे तौर पर निम्नलिखित मैनुअल, नियम और विनियम, अनुदेश, रिकॉर्ड आदि निगम द्वारा रखे जाते हैं और विभिन्न कार्यों तथा उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के दौरान कर्मचारियों द्वारा इनका पालन किया जाता है।

क) आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और मैमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन
ख) कारोबार और कार्य करने के लिए तैयार किए गए मैनुअल/दिशानिर्देश

- एचआर मैन्युअल,
- प्रापण दिशानिर्देश,
- सतर्कता मैनुअल,
- रिसोर्स मोबिलाइजेशन मैनुअल,
- निवेश मैनुअल,
- जोखिम प्रबंधन नीति आदि,
- निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता नीति,
- परियोजना निगरानी दिशा-निर्देश आदि।

ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग आदि जैसे समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए उपलब्ध आरक्षण और रियायतों के संबंध में समय-समय पर राष्ट्रपति के विभिन्न निर्देश जारी किए गए हैं और वेतन संशोधन तथा नीतियों आदि के संदर्भ में भी हैं।

घ) प्रचालनात्मक नीति विवरण (निगम द्वारा विकसित) अनुदान और रियायतों अथवा ब्याज मुक्त ऋणों संबंधी नीतियां, मानक ऋण दस्तावेज, द्वीपक्षीय/बहुपक्षीय करार की शर्तें आदि।

ङ) प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य), दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ), उदय, समझौता ज्ञापन (एमओयू) जैसे विषयों पर भारत सरकार द्वारा विभिन्न दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। विद्युत मंत्रालय और आरईसी लिमिटेड के बीच विभिन्न वित्तीय वर्षों के लिए प्रशिक्षण संस्थानों जैसे अन्य संगठनों के साथ भारत सरकार के प्रतिनिधित्व में एमओयू हुये हैं।

च) कंपनी अधिनियम, 2013 (पूर्ववर्ती 1956), आय कर अधिनियम, 1961, सेबी दिशा-निर्देश और अन्य संबंधित अधिनियम जैसे लागू कानूनों के आवश्यक प्रावधान।

छ) कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के लिए उपलब्ध सेवा-शर्तों, लाभों आदि के मामले में लोक उद्यम विभाग द्वारा विभिन्न दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, वित्त मंत्रालय आदि जैसे कर प्रवर्तन प्राधिकारियों द्वारा अनुदेश, दिशा-निर्देश, परिपत्र जारी किए गए हैं।

ज) निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुमोदित शक्तियों के प्रत्यायोजन(डीओपी) की योजना।

झ) कारोबार के निपटान आदि के मामले में निगम द्वारा विभिन्न परिपत्र, अनुदेश जारी किए गए हैं।

निर्णय लेने के लिए समय-सीमा, यदि कोई हो:- समय अनुसूची, आरईसी की निष्पक्ष कार्यप्रणाली संहिता, जो नीचे दिए गए लिंक में उपलब्ध है, में उल्लिखित है:

<u>आरईसी की निष्पक्ष कार्यपणाली संहिता</u>

पर्यवेक्षण एवं जवाबदेही का चैनल

निगम के पर्यवेक्षण और जवाबदेही का चैनल निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुमोदित शक्तियों के प्रत्यायोजन (डीओपी) द्वारा विनियमित किया जाता है।